दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

उद्घोषित: 17 दिसंबर, 2013

रि.या.(सि.) 8017/2012

नानक चंद ..... याचिकाकर्ता

द्वारा : अधिवक्ता श्री आर.के सैनी सहित सुश्री सीमा सलवान, अधिवक्तागण।

बनाम

डीडीए ..... प्रत्यर्थी

द्वारा : श्री अरुण बीरबल, अधिवक्ता।

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति श्री जी. पी. मित्तल

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. श्री जी.पी. मित्तल,</u>

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस रिट याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने उसे आवंटित फ्लैट सं. 188, (एफएफ), पॉकेट-बी, सेक्टर 13, द्वारका के समरूप एक एमआईजी फ्लैट की मांग की है जिसे बिना किसी न्यायसंगत और युक्तियुक्त आधार के रद्द कर दिया गया था।

2. रिट याचिका की सुनवाई के समय याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.के. सैनी ने स्वीकार किया था कि यदि याचिकाकर्ता को अब इसी प्रकार के फ्लैट का हकदार पाया जाता है, तो उसे (याचिकाकर्ता को) वर्तमान लागत पर आवंटन स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

3. याचिकाकर्ता ने अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत एमआईजी फ्लैट के आवंटन के लिए स्वयं को पंजीकृत करवाया। उसे पंजीकरण सं. 6362 आवंटित की गई। पंजीकरण के समय, उसने आवेदन पत्र में अपना वर्तमान पता और स्थायी पता इस प्रकार दिया:-

> *"(क) वर्तमान पता: सी/ओ श्री जय प्रकाश, मकान नं. 3985, रोशन आरा रोड, दिल्ली-110007*
> *(ख) स्थायी पताः स्थायी पता: वरिष्ठ पी.ए. नानक चंद, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली-110011 (यह उसका व्यावसायिक/कार्यालय पता है)"*

4. वर्ष 2001 में, याचिकाकर्ता को एक सरकारी आवास अर्थात् बी-16, पंडारा रोड, नई दिल्ली आवंटित किया गया था। दिनांक 04.10.2001 के एक पत्र द्वारा, उसने डीडीए(दिल्ली विकास प्राधिकरण) से अपने बदले हुए पते को डीडीए के रिकॉर्ड में सम्मिलित करने का अनुरोध किया। दिनांक 22.10.2001 के एक पत्र द्वारा, डीडीए ने उसे राशन कार्ड या चुनाव कार्ड की एक अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने के लिए कहा जिससे

कार्यालय के रिकॉर्ड में उसका पता बदला जा सके। याचिकाकर्ता द्वारा उक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए क्योंकि उसके पास ये नहीं थे। चूंकि याचिकाकर्ता विदेश मंत्रालय में एक अवर सचिव के रूप में कार्य कर रहा था, वह उस समय पनामा में तैनात था। सितंबर, 2005 में वापस आने पर, याचिकाकर्ता ने आगे के पत्र-व्यवहार हेतु डीडीए को पुनः अपना नया पता, अर्थात् बी-1/167, केन्द्रीय विहार, सेक्टर 56, गुड़गांव बताया। याचिकाकर्ता नवंबर, 2008 में सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गया और उसके बाद उसने संयुक्त निदेशक (आवासन) को दिनांक 28.04.2009 को एक अभ्यावेदन दिया, जिसमें उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को इंगित किया गया और कहा गया कि उसे फ्लैट के आवंटन के विषय में कोई सूचना नहीं मिली थी। फ्लैट के आवंटन के उसके अनुरोध को दिनांक 28.08.2009 के एक पत्र द्वारा बिना किसी कारण बताए और बिना उसे यह सूचित किए अस्वीकार कर दिया गया कि दिनांक 22.12.2002 को आयोजित ड्रा में उसकी बारी आने पर उसे पहले ही फ्लैट नं. 188, (एफएफ), पॉकेट-बी, सेक्टर 13, द्वारका आवंटित किया जा चुका है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने पुनः दिनांक 22.12.2009 को एक अभ्यावेदन दिया (उपाबंध पी-5)। चूंकि उसे डीडीए से कुछ नहीं मिला, इसलिए उसने दिनांक 24.06.2011 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(आरटीआई अधिनियम) के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया और जानकारी मांगी कि उसे इस योजना के अंतर्गत फ्लैट के आवंटन से क्यों वंचित किया जा रहा है। संतोषजनक उत्तर प्राप्त करने में विफल रहने पर, याचिकाकर्ता ने दिनांक 07.09.2011 को अपील प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर की (उपाबंध पी-6)। अपील का निपटान दिनांक 21.09.2011 के पत्र द्वारा किया गया, जिसका उद्धरण नीचे दिया गया है:-

> *"लोक सूचना अधिकारी/उप निदेशक (एमआईजी)-एच को निर्दिष्ट किया जाता है कि यदि उनके रिकॉर्ड में जानकारी आसानी से उपलब्ध है तो वे अपीलार्थी को जानकारी प्रदान करें और यदि यह उपलब्ध नहीं है तो अपीलार्थी को विभाग में उपलब्ध संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए कहा जाएगा। अपीलार्थी प्रासंगिक विवरण नोट कर सकता है और यदि आरटीआई अधिनियम-2005 के प्रावधानों के अनुसार दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान की जा सकें, तो उन्हें अपीलार्थी को दिया जाए।"*

5. इस प्रकार, डीडीए इस मामले में कोई उपचारी कार्रवाई करने और मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफल रहा। इसलिए, याचिकाकर्ता ने दिनांक 12.09.2012 (उपाबंध पी-8) को डीडीए के उपाध्यक्ष को एक अभ्यावेदन दिया, परंतु फिर भी, हमेशा की तरह उसे कोई उत्तर नहीं मिला।

6. याचिकाकर्ता का दावा है कि दिसंबर 2012 के पहले सप्ताह में याचिकाकर्ता ने डीडीए द्वारा जारी एक लोक सूचना (उपाबंध पी-9) देखा, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के फ्लैटों के आवंटन पूर्ण होने के विषय में बताया गया था कि डीडीए के पास कोई आवंटन लंबित नहीं है और यह योजना पहले ही समाप्त हो चुकी है। इसलिए याचिकाकर्ता ने दिनांक 13.12.2012 को डीडीए के कार्यालय में लोक सुनवाई में भाग लिया और इस प्रकार उसे पता चला कि वर्ष 2001 में उसे फ्लैट नं. 188 (एफएफ), पॉकेट-बी, सेक्टर 13, द्वारका, नई दिल्ली का आवंटन किया गया था और उसका मांग-सह-आवंटन पत्र (डीएएल) बिना वितरित किए वापस कर दिया गया था और उसे दिए गए फ्लैट का आवंटन नियत अवधि के भीतर फ्लैट की कीमत का भुगतान न करने के कारण रद्द कर दिया गया। इसलिए याचिकाकर्ता ने इस याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

7. डीडीए द्वारा दायर प्रति-शपथपत्र में कहा गया है कि दिनांक 26/31.12.2011 की ब्लॉक तिथियों वाला एक डीएएल याचिकाकर्ता को उसके आवेदन पत्र में उल्लिखित पत्राचार/डाक पते पर भेजा गया था, जो कि मकान नं. 3985, रोशन आरा रोड, दिल्ली-110007 है, जिसमें पत्र में दी गई अनुसूची के अनुसार मांगी गई राशि जमा करने की

सलाह दी गई थी। चूंकि याचिकाकर्ता अपेक्षित राशि जमा करने में विफल रहा, इसलिए आवंटन स्वतः ही रद्द हो गया। यह कहा गया है कि डीडीए ने दिनांक 17.10.2012 को प्रमुख समाचार पत्रों में और वेबसाइट पर भी एक प्रेस सूचना प्रकाशित की जिसमें विभिन्न ड्रॉ के सभी सफल आवंटितियों, जिन्हें उनके संबंधित डीएएल नहीं मिले थे, से अनुरोध किया गया था कि वे 15 दिनों के भीतर उप निदेशक के कार्यालय से इसे प्राप्त कर लें।

8. प्रति-शपथपत्र में डीडीए ने यह अभिवाक् भी किया कि हालांकि याचिकाकर्ता ने अपने कार्यालय का पता नानक चंद, वरिष्ठ पी.ए. विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली-110011 बताया था, परंतु फ्लैट के पंजीकरण के समय जमा किए गए आय प्रमाण पत्र के अनुसार, वह काठमांडू में भारतीय दूतावास में कार्य कर रहा था। डीडीए ने यह अभिवाक् भी किया कि याचिकाकर्ता के सभी पतों पर डीएएल भेजने की कोई नीति नहीं है।

9. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि फ्लैट के आवंटन हेतु पंजीकरण के समय याचिकाकर्ता ने दो पते दिए थे और स्थायी पता नानक चंद, वरिष्ठ पी.ए. विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली-110011 था। निस्संदेह, इस पते पर याचिकाकर्ता को आवंटन पत्र नहीं भेजा गया। किंतु, डीडीए ने यह अभिवाक् किया कि हालांकि व्यावसायिक/कार्यालय का पता विदेश

मंत्रालय बताया गया था, फिर भी इस पते पर उसे आवंटन पत्र जारी नहीं किया जा सकता था क्योंकि फ्लैट के पंजीकरण के समय, आय प्रमाण पत्र के अनुसार याचिकाकर्ता काठमांडू में तैनात था। यह स्पष्ट है कि चूंकि याचिकाकर्ता विदेश मंत्रालय में कार्यरत था, इसलिए उसकी तैनाती एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलती रही होगी और इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने अपना स्थायी पता भारतीय दूतावास, काठमांडू, नेपाल के रूप में उल्लेख नहीं किया था, किंतु उसने पता नानक चंद, वरिष्ठ पी.ए. विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली -110011 के रूप में उल्लेख किया। याचिकाकर्ता ने सही रूप से आशा की थी कि यदि इस पते पर उसे कोई संचार भेजा जाता है, तो वह उसकी तैनाती के स्थान के बावजूद उसके पास पहुंच जाएगा। इसके अलावा, यह विवादग्रस्त नहीं है कि याचिकाकर्ता ने अपने वर्तमान पते में मकान नं. 3985, रोशन आरा रोड, दिल्ली -110007 से बी -16, पंडारा रोड, नई दिल्ली में परिवर्तन दर्ज करने के लिए दिनांक 04.10.2001 को एक पत्र लिखा था। वास्तव में, डीडीए ने दिनांक 22.10.2001 को लिखे पत्र में उससे राशन कार्ड और चुनाव कार्ड की अनुप्रमाणित प्रति जमा करने को कहा था जिससे कार्यालय में उसका पता बदला जा सके। यह सत्य है कि याचिकाकर्ता की ओर से लापरवाही बरती गई क्योंकि उसने मांगे गए अनुसार कोई राशन कार्ड/चुनाव कार्ड नहीं दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसके

पास यह नहीं है। अगर ऐसा था भी तो याचिकाकर्ता से प्रत्याशा की जा रही थी कि वह डीडीए को इस विषय में सूचित करे। यद्यपि, तथ्य यह है कि डीडीए को इस विषय की पूरी जानकारी थी कि दिनांक 04.10.2001 को लिखे पत्र में याचिकाकर्ता ने अपने पते में बदलाव के विषय में सूचित किया था।

10. इसलिए, विचारणीय प्रश्न यह है कि यदि किसी योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने वाला व्यक्ति अपना पता बदलने के लिए राशन कार्ड/चुनाव कार्ड की प्रति उपलब्ध कराने में विफल रहता है, तो क्या डीडीए द्वारा पुराने पते पर आवंटन पत्र भेजना उचित है? भले ही डीएएल को शुरू में पुराने पते पर भेजा गया हो और उसे *'छोड़ दिया'* की रिपोर्ट के साथ वापस प्राप्त किया गया हो, डीडीए का दायित्व था कि वह इसे याचिकाकर्ता के वर्तमान पते पर भेजे, जो वर्ष 2001 में सम्यक् रूप से प्रदान किया गया था। इतना ही नहीं, निस्संदेह, फ्लैट के आवंटन के विषय में सूचना भी याचिकाकर्ता के व्यावसायिक/कार्यालय पते पर नहीं भेजी गई थी। डीडीए के विद्वान अधिवक्ता ने *देव राज बनाम डीडीए, रि.या.(सि.) सं. 7842/2012*, दिनांक 11.07.2013 को निर्णीत इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता व्यक्त करते हुए हुए प्रतिवाद किया कि

डीडीए सभी पतों पर संचार भेजने के लिए आबद्ध नहीं था। यद्यपि, डीडीए की ओर से उद्भूत प्रतिविरोध गलत है।

11. *देव राज* मामले में, सूचना दिए गए पते पर भेजी गई थी जिसे *"छोड़ दिया गया"* की रिपोर्ट के साथ वापस कर दिया गया और प्रदान किया गया स्थायी पता अधूरा और अस्पष्ट था। इन परिस्थितियों में यह अभिनिर्धारित किया गया कि डीडीए ने उपलब्ध पते पर सूचना भेजने का अपना दायित्व निभाया था।

12. दूसरी ओर, वर्तमान मामले का इस न्यायालय के *रवि दास बनाम डीडीए, रि.या.(सि.) सं. 5554/2011*, दिनांक 16.02.2012 को निर्णीत, *सुशील कुमार जैन बनाम डीडीए, रि.या.(सि.) सं. 7433/2012,* दिनांक 12.11.2013 को निर्णीत, *डीडीए बनाम मोहिंदर सिंह, एलपीए सं. 1067/2011,* दिनांक 14.02.2012 को निर्णीत, और *डीडीए बनाम सुश्री प्रेम भटनागर, एलपीए सं. 1098/2011,* दिनांक 14.02.2012 को निर्णीत निर्णयों द्वारा समावेश किया गया है।

13. डीडीए को वर्तमान पते, अर्थात् बी-16, पंडारा रोड, नई दिल्ली की पूरी जानकारी थी जो याचिकाकर्ता का निवास स्थान था, जिसे उसे आवंटित सरकारी फ्लैट मिला था। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पता उपलब्ध होने के बावजूद, सरकारी कर्मचारियों के मामले में भी, डीडीए अब यह

अभिवाक् करना चाहता है कि वर्तमान निवास स्थान पर आवंटन पत्र भेजना उसके लिए बाध्य नहीं था, जिसकी सम्यक् रूप से जानकारी दी गई थी।

14. इसलिए, रिट याचिका को सफल होना ही होगा।

15. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि हालांकि याचिकाकर्ता को फ्लैट के आवंटन में विलंब हेतु दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, फिर भी याचिकाकर्ता संतुष्ट होगा यदि उसे रिट याचिका दायर करने की तिथि अर्थात् दिनांक 20.12.2012 को प्रचलित लागत पर फ्लैट आवंटित किया जाता है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.02.2012 को निर्णीत *डीडीए बनाम मोहिंदर सिंह, एलपीए संख्या 1067/2011* और *सुश्री प्रेम भटनागर बनाम डीडीए, एलपीए संख्या 1098/2011* दिनांक 14.02.2012 के निर्णयों पर भी निर्भरता व्यक्त की।

16. मैंने *मोहिंदर सिंह* और *प्रेम भटनागर* के निर्णयों का परिशीलन किया है। इन दोनों मामलों में, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा फ्लैट का आवंटन आवंटन पत्र जारी करने के समय प्रचलित लागत पर 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के साथ करने का आदेश दिया गया था। डीडीए द्वारा दायर एलपीए को अनुज्ञात किया गया और विद्वान एकल

न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों को इस सीमा तक उपांतरित किया गया कि अपीलार्थीगण को दिनांक 19.05.2011 की लागत पर फ्लैट के आवंटन का हकदार माना गया, जो कि निर्णयों की तिथि है।

17. इसे ध्यान में रखते हुए, मैं एतद्द्वारा *परमादेश* रिट जारी करता हूं, जिसमें डीडीए को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह 12 सप्ताह की अवधि के भीतर समरूप आकार का एक फ्लैट, अधिमानतः उसी क्षेत्र में, अर्थात् द्वारका, नई दिल्ली में, इस आदेश की तिथि को प्रचलित मूल्य पर आवंटित करे।

18. डीएएल जारी होने और आवंटन राशि जमा होने पर, फ्लैट का कब्जा डीडीए की मांग के अनुसार, भुगतान करने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को दिया जाएगा।

19. रिट याचिका को उपरोक्त शर्तों के साथ अनुज्ञात किया जाता है, जिसकी लागत 15,000/- रूपये निर्धारित की गई है।

20. लंबित आवेदनों का भी निपटान किया जाता है।

(श्री जी.पी. मित्तल)
न्यायाधीश

17 दिसंबर, 2013
वीके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*